

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.12861/जोन-उदयपुर /2024/111)

दिनांक: 24/01/2024

आदेश

श्री दिनेश कुमार खटीक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर जिनकी जन्म तिथि 01.03.1973 है, को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 31.01.2024 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 31.01.2024 को इनका अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार खटीक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ.12861/जोन-उदयपुर /2024/111)

दिनांक: 24/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री दिनेश कुमार खटीक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
5392948

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation: Director  
Date :25-01-2024 11:41:34